न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्याः 01/2017

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।

...प्रार्थी

बनाम

1. भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर।
2. रामसहाय पुत्र भैरू जाट निवासी रतनपुरा हरिपुरा तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. मुरलीधर पुत्र भैरू जाट निवासी रतनपुरा हरिपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

.....अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः 25.10.2018

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि तहसीलदार जमवारामगढ ने जरिये पत्रांक/भू.अ./17/367 दिनांक 02.02.2017 से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम रतनपुरा हरिपुरा तहसील जमवारामगढ स्थित खसरा नंबर 164 के मूल रकबे से अधिक रकबे का भूमि आवंटन होने पर अधिक आवंटित रकबा 7 बीघा भूमि का रेफरेन्स अन्तिम आवंटित भूमि में से तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। ग्राम रतनपुरा हरिपुरा तहसील जमवारामगढ के ख0न0 164 रकबा 91 बीघा 01 बिस्वा किस्म बंजड दोयम 23.01 बीघा व चरा0 68 बीघा मुताबिक भू प्रबंध संवत् 2008–27 रिकार्ड है। उक्त भूमि में से दिनांक 17.08.1964 को 17.08 बीघा भूमि आवंटित की जाकर नामा0 65 लगायत 72 तक दिनांक 08.08.1965 को गैर खातेदारी दर्ज की गई। उक्त भूमि में से दिनांक 26.06.1996 को 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि रामचन्द पुत्र नारायण बलाई निवासी रतनपुरा हरिपुरा को आवंटित की गई जिसका नामा0 संख्या221 दिनांक 16.11.1976 को स्वीकृत हुआ। दिनांक 04.04.1987 को ख0न0 164 में से 66 बीघा भूमि किस्म चरागाह से अप्रार्थी संख्या एक भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर के नाम नामा0 संख्या 467 दिनांक 04.04.87 को दर्ज हुई। दिनांक 08.08.1999 को ख0न0 164 में 2 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 रामसहाय जाट पुत्र भैरू जाट को आवंटित की गई। जिसका नामा0 संख्या 675 दिनांक 06.06.2000 को स्वीकृत हुआ। उक्त भूमि में से दिनांक 08.08.99 को उक्त खसरा नंबर 164 में 2 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 3 रामसहाय पुत्र भैरू जाट को आवंटित की गई। जिसका नामा0 संख्या 676 दिनांक 06.06.2000 को स्वीकृत हुआ। दिनांक 08.08.1999 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को नामा0 संख्या 1038 व 1039 दिनांक

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

29.12.2010 से गैर खातेदारी से खातेदारी स्वीकार हुई। उक्त खसरा नंबर 164 में अन्तिम आवंटन/परिवर्तन /आरक्षण दिनांक 04.04.1987 एवं दिनांक 08.06.1999 को हुआ। इस प्रकार दिनांक 17.08.64 को ख0न0 164 में 17 बीघा 8 बिस्वा आवंटित भूमि का जमाबन्दी आधार वर्ष संवत 2022 में रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा का नामा0 संख्या 65 से 72 तक का अमल कर दिया किन्तु जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 में उक्त आवंटन कुल रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा अंकित कर दिया गया जिससे कुल आवंटन में 7 बीघा भूमि वर्तमान खातेदारो के कम पड गई तथा उक्त ख0न0 164 में आवंटन का अमल 7 बीघा भूमि कम होने से दिनांक 04.04.1987 व 08.08.99 को 7 बीघा भूमि आवंटन हो गई। जिससे उक्त ख0न0 164 में अब तक कुल आवंटन रकबा 98 बीघा 1 बिस्वा हो गया जबकि मूल रकबा 91 बीघा 1 बिस्वा ही है। अतः अधिक आवंटन 7 बीघा भूमि का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अर्न्तगत तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत कर चरागाह भूमि रकबा 66 बीघा जो दिनांक 04.04.87 को भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर के नाम दर्ज की गई में से 3 बीघा भूमि कम करने एवं दिनांक 08.08.95 व 08.08.99 को कमशः अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को किए गए 4 बीघा भूमि का आंवटन निरस्त कर रेफरेन्स स्वीकार करने का निवदेन किया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस अप्रार्थीण जारी करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 अनुपस्थित। पत्रावली पर एकपक्षीय बहस उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक की दलील है कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन मूल रकबा 91 बीघा 01 बिस्वा की जगह 98 बीघा 1 बिस्वा हो गया जिससे 7 बीघा भूमि पूर्व में आवंटित खातेदारो के कम पड गई। अतः मूल रकबे से अधिक आवंटित भूमि निरस्त किया जावे।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय दस्तावेजात आद्योपान्त अवलोकन किया तथा विद्वान राजकीय अभिभाषक की दलील पर गौर किया गया एवं सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रतनपुरा हरिपुरा तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि खसरा नंबर 164 रकबा 91 बीघा 01 बिस्वा किस्म बंजड दोयम 23.01 व चरागाह 68 बीघा भूमि में से 17.08 बीघा भूमि दिनांक 17.08.1964 आवंटित की गई। इसके पश्चात आदेश दिनांक 26.06.1996 को रामचन्द्र पुत्र नारायण बलाई को 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को कमशः 66, 2, 2 बीघा का आवंटन बाद का आवंटन है। अप्रार्थी संख्या एक के हक में

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

नामा0 संख्या 467 दिनांक 04.04.87 को स्वीकार हुआ एवं दिनांक 08.06.1999 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को उक्त खसरा संख्या 164 में से 2–2 बीघा भूमि आवंटित की गई जिनका गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण क्रमशः 1038 व 1039 दिनांक 29.12.2010 को स्वीकृत हुआ।इस प्रकार कुल आवंटन 98 बीघा 01 बिस्वा का हो गया जबकि खसरा नंबर 164 का मूल रकबा 91 बीघा 01 बिस्वा है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा रेफरेन्स स्वीकृत कर अप्रार्थी संख्या एक को उक्त खसरा नंबर में से आवंटित 66 बीघा भूमि में से 3 बीघा भूमि कम करने एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को किए भूमि आंवटन को निरस्त करने की अनुषंशा की गई है। वर्तमान में भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगणों के नाम दर्ज है।

अतः उपरोक्त भूमि जिसके खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है उसे अप्रार्थीगणों के नाम से हटाई जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को खसरा नंबर 164 में से आवंटित 66 बीघा भूमि में से 3 बीघा भूमि कम करने एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को खसरा नंबर 164 में से किए गए 2–2 बीघा भूमि आंवटन को निरस्त करने के लिये प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेन्स किया जाता है। पत्रावली आदेश की अतिरिक्त प्रति के साथ माननीय राजस्व मण्डल में भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सैन)
अतिरिक्त कलक्टर, प्रथम,
जयपुर